कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी, उ0प्र0 ।

संख्या 4727/रिक्त पद/सूचना/2019–20, दिनांक 09 सितम्बर, 2019

सूचना

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति होने अथवा 1 वर्ष के लिये जो भी पहले घटित हो, संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभर्थियों से अपेक्षा की जाती है, कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों एवं आवेदन पत्र के साथ दिनांक 10–10–2019 तक प्रधानाचार्य कार्यालय में आवेदन कर सकते है। साक्षात्कार समिति के द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को 11:00 बजे से सांय 03:00 बजे के मध्य साक्षात्कार की कार्यवाही की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है, कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की मूल प्रति के साथ साथ (स्वप्रमाणित) छायाप्रतियों का एक अतिरिक्त सेट लायेगें –:

कम	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह–आचार्य	सहायक आचार्य
1	फिजियोलॉजी	1	0	3
2	फार्माकोलॉजी	0	1	1
3	माइकोबायोलॉजी	1	0	0
4	फोरेंसिक मेडिसिन	1	1	0
5	एस0पी0एम0	0	2	3
6	सामान्य मेडिसिन	1	1	2
7	बालरोग विभाग	0	1	0
8	चर्म रोग	0	1	0
9	मानसिक विभाग	0	1	1
10	सामान्य सर्जरी	0	0	1
11	आर्थोपैडिक्स	1	1	0
12	नेत्र रोग विभाग	1	0	1
13	ऑब्स एण्ड गायनी	0	3	1
14	एनेस्थीसिया	0	3	1
15	रेडियोलॉजी विभाग	0	1	2
16	रेडियोथेरेपी	0	0	2
17	न्यूरो सर्जरी (ट्रामा)	1	0	0
	योग	07	16	18

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1– शासनादेश संख्या 4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15–12–2008 में प्रविधानित व्यवस्था के अनुसार संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यो का वेतन रू0 90,000–00, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 80,000–00, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 60,000–00 प्रतिमाह है। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते उक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर 2008 एवं इसके उपरान्त निर्गत भिन्न–भिन्न शासनादेशानुसार होगी।

2– उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institution Regulation 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना अनिवार्य है।

3– चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।

4– चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी।

5– उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्राईवेट प्रेक्टिस करने की अनुमति होगी।

6– नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत् चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।

7– प्राईवेट प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षको को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।

8– उक्त पदों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। आरक्षण सम्बन्धी सूचना कार्यालय में देखी ज सकती है।

9– शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर 2008 महानिदेशालय की वेब साइट www.updgme.in पर उपलब्ध है।

10– पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

11– सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज झाँसी।